

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004



// आदेश//

भोपाल, दिनांक 🛂 / 02 / 2016

क्रमांक-एफ-19-35/2016/स्था./19, राज्य शासन एतद्द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या—5) के आदेश सत्ताईस के नियम—1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग-भिण्ड को मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक-5625/2015 (एस) द्वारा श्री सरनाम सिंह, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तूरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ रिथति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :--

- 1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जॉच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
- 2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
- समस्त सुसंगत फाईलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना..... (ग) प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- 7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।

- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देनें में समय नष्ट नहीं हों।
- जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से 10. तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
- प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छूपा हुआ नहीं रह जाए।
- प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(स्नील मड़ावी)

भोपाल, दिनांक 0 / 02 / 2016

मूह्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग

पू.क.-एफ-19-35/2016/स्था./19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

रजिस्ट्रार, मान.उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ,म.प्र. ।

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल। 2.

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल। 3.

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर-परिक्षेत्र-ग्वालियर ।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग-भिण्ड प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जा सके।

कलेक्टर-भिण्ड ।

ध्युप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

W.P. No. of 2015 (S) 5625

Petitioner:

Presentation Ascistant

Sarnam Singh S/o Shri Ram Gopal, aged 50 years, occupation service as Mali, R/o Village Daboha Distt. Bhind (M.P.).

Versus

Respondents:


- State of Madhya Pradesh through the Principal Secretary, Public Works Department, Mantralaya, Vallabh Bahwan, Bhopal, M.P.
- Enginner-in-Chief, Public Works
 Department, Satpura Bhawan,
 Bhopal, M.P.
- Chief Engineer (North), Public Works
 Department, Morar, Gwalior, M.P.
- Executive Engineer, Public Works
 Department, Bhind Division, Bhind,
 M.P.











CONSTITUTION OF INDIA

The copies required by rule 25 of Chapter X of High Court of M.P. Rules, 2008 have been served upon A.G. Office,

walior on2).08.2015

1. Particulars of the Cause/Order against which the Petition is

made

(i) Order No.

Nil

नत्त्र शमो

(ii) Dated

Nil

थ -आयुक्त

ाग ग्वातियर

ANNEXURE-C HIGH COURT OF MADHYA PRADESH ORDER SHEET (Continuation) S. No. order Order WP No.5625/2015(S) (Sarnam Singh v. State of MP & Others) 25.08.2015 Shri Munendra Doneria, Advocate for petitioner. Shri G.S. Chauhan, Dy. Govt. Advocate for State. The petitioner in this petition filed under Article 226 of the Constitution of India prays for the following reliefs :-(i) That, a direction may kindly be given to the respondents to give the service benefits including pay scale, increments and DA of the post of Mali from the date of his classification as permanent (ii) That, respondents may further be directed to treat the petitioner at par with the regular employees with seniority and consequential benefits on the post of Mali from the date of his classification; and (iii)Any other relief, which this Hon'ble Court may deem fit and proper, may also be given to the petitioner The grievance of the petitioner is that the benefit of regular pay scale and other admissible benefits flowing out of the order of classification vide Annexure P/2 have not been extended to the petitioner. It is undisputed that the issue involved herein is no more res integra in view of the dismissal of SLP (Civil) No 20025/2011 and large number of similar SLPs filed by the State on 21.01.2015 thereby affirming the consistent view of this Court that grant of all admissible service benefits attached to a regular post is a necessary consequence to classification on the regular post. Pertinently, Review Petition (C) No.859/2015 filed by



the State in the Apex Court has also been dismissed on

It is further contended that in similar situation,